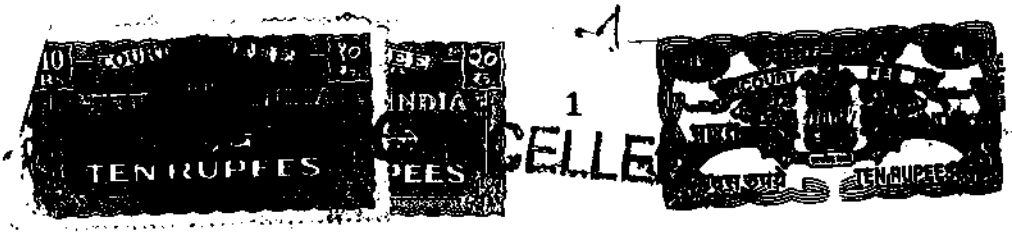

1

समक्षः न्यायालय राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर, कैम्प–जबलपुर

राजस्व निगरानी याचिका क्र.   /2014

R. 2781-II/14

आवेदक/ निगरानीकर्ता : टेकचंद चौरसिया, आत्मज स्व. श्री रामदत्त चौरसिया, उम्र लगभग 65 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम–उमरियापान तहसील– ढीमरखेड़ा, जिला– कटनी (म.प्र.)।

श्री राजेन्द्र उपाध्याय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार श्रीधर
31 JUL 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

//विरुद्ध//:

अनावेदक/ प्रत्यर्थीगण :

1. दिनेश कुमार गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता उम्र लगभग 37 वर्ष, खेती।
2. लालजी बर्मन पिता फुल्लू बर्मन उम्र लगभग 48 वर्ष पेश खेती दोनो निवासी ग्राम उमरियापान तह. ढीमरखेड़ा जिला– कटनी (म.प्र.)।

(386)

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959

"माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला कटनी के द्वारा प्रकरण कमांक/32/निगरानी/अ–19/2011–12 पक्षकारगण "टेकचंद चौरसिया विरुद्ध दिनेश कुमार गुप्ता एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक 27.03.2014 से व्यथित होकर, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों एंव आधारो पर प्रस्तुत की गई है कि :–"

//प्रकरण के तथ्य//

1. यह कि, आराजी खसरा नं.51, रकवा 030 हेक्टर एवं खसरा 49 रकवा 0.81 हेक्टर स्थित भूमि ग्राम गढ़मास, रा.नि.म. उमरियापान तहसील– ढीमरखेड़ा जिला– कटनी (म.प्र.) जिसका बंदोबस्त के पूर्व पुराना खसरा 101/2 एवं 100/1 तहसील – सीहोरा, जिला – जबलपुर था, उक्त भूमि भू–दान समिति नागपुर वार्ड की थी जोकि करीब सन् 1960 से ही आवेदक/निगरानीकर्ता के कब्जेदखल में रही आई।

2. यह कि, आवेदक/निगरानीकर्ता द्वारा भू–दान यज्ञ बोर्ड के समक्ष उपरोक्त निरंतर दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर उक्त प्रश्नांकित भूमिया का पट्टा बंटन की मांग की थी, एवं कार्यवाही लंबित रहने के दौरान ही भू–दान यज्ञ बोर्ड का भू–दान निरसन हो गया। जिससे आवेदक के पक्ष में भूमि बंटन कार्यवाही सम्पन्न नही हो सकी। जबकि भूमि निरंतर आवेदक के कब्जे में रही आयी।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2781–एक/14 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-8-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जिला कटनी द्वारा प्रकरण कमांक 32/निगरानी/अ–19/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 27–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार, ढीमरखेड़ा द्वारा ग्राम गढ़मास रा.नि.मं. उमरियापान तहसील ढीमरखेड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 49/1 रकबा 0.21 हैक्टर का पट्टा अनावेदक कमांक 1 दिनेश कुमार को तथा खसरा नं. 49/2 रकबा 0.60 हैक्टर का पट्टा अनावेदक कमांक 2 को प्रकरण कमांक 233/अ–19/95–96 में पारित आदेश दिनांक 20.2.1996 को दिया गया था। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 18–7–12 को अर्थात 16 वर्ष उपरांत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई । अपर कलेक्टर ने आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया गया तथा उसे लिखित तर्क पेश करने का अवसर भी दिया गया । किंतु आवेदक द्वारा लिखित तर्क पेश नहीं किये जाने और अपने पक्ष समर्थन में अन्य कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने के कारण तथा वर्ष 1960 से प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा होने के संबंध में ठोस प्रमाण पेश नहीं किये जाने के कारण आवेदक का निगरानी आवेदन खारिज किया गया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।	

R-2781-II/14 (फरार्)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

3/ आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीनभूमि आवेदक के दीर्घकालीन कब्जे में है सिविल जज वर्ग–2 सिहोरा ने अपने निर्णय दिनांक 30.4.08 में आवेदक का विवादित भूमि पर आधिपत्य प्रमाणित माना है ।

यह तर्क दिया गया है कि विवादित भूमि भूदान यज्ञ बोर्ड की थी नायब तहसीलदार ने आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवंटन आवेदन लंबित होने के उपरांत अनावेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का आदेश जारी किया गया है जबकि उक्त आदेश भूदान निरसन अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अनुसार कलेक्टर की अनुमति के बिना जारी नहीं किया जा सकता था ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री जिसमें आवेदक का आधिपत्य 1967 से लगातार माना है को अनदेखा कर आदेश पारित किया है । इसके अतिरिक्त इस तथ्य को भी अनदेखा किया है कि भूदान निरसन अधिनियम, 1972 की धारा 3 के पालन आज्ञापक स्वरूप का है । जिसे अनदेखा कर आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है ।

4/ अनावेदकों के विद्वान अधिवक्ता को लिखित तर्क पेश किए जाने के निर्देश दिए गए थे किंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क पेश नहीं किये गये हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकों को नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का आवंटन वर्ष 1996 में किया गया था जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर के न्यायालय में निगरानी पेश की जिसे उन्होंने इस आधार पर निरस्त किया गया है कि आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । इस

पक्षकार एवं अभिभाषकों हस्ताक्षर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 2781–एक/14 जिला – कटनी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने की है । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपर कलेक्टर ने आदेश पारित करने के पूर्व इस विधिक बिंदु को अनदेखा किया है कि क्या भूदान यज्ञ बोड की भूमि का बंटन नायब तहसीलदार द्वारा किया जा सकता था । भूदान अधिनियम, 1972 की धारा 3 के अनुसार कलेक्टर की अनुमति के भूमि बंटन, पट्टा नहीं दिया जा सकता था । जबकि इस प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा अनावेदक को पट्टा बिना कलेक्टर की अनुमति के दिया गया है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में नायब तहसीलदार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है । इस विधिक स्थिति को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के जो आदेश हैं वे स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासकीय दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । तहसीलदार तदनुसार राजस्व अभिलेख संशोधित करें

सदस्य